उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

वेबसाइटः **hajcommittee.up.gov.in** ; ई–मेल : **hajcommittee.up@gmail.com**

पत्रांक : जी–।।/519/एस.एच.सी/24 दिनांक : 04/11/2024

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा सकुर्लर–15, 03 दिसम्बर, 2024 जारी किया है जिसमें हज यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षकों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश निम्नवत हैंः–

1. ऑनलाइन आवेदन दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 को प्रातः 11.00 बजे आरम्भ हो जाएगा जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेगा।
2. ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर किया जायेगा।
3. हज कमेटी आफ इण्डिया द्वारा दिसम्बर, 2024 के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा ली जाएगी।
4. प्रशिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण दिल्ली में जनवरी, 2025 के प्रथम सप्ताह में सम्भावित है।
5. केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
6. 150 हज आवेदकों पर 01 प्रशिक्षक का चयन किया जायेगा। समस्त ज़िलों से प्रशिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो। किसी जनपद में 150 हज आवेदकों से कम संख्या होने पर भी 01 प्रशिक्षक का चयन किया जायेगा।
7. पूर्व प्रशिक्षक जिनको पिछला अनुभव है व पर्याप्त ज्ञान हो, का चयन किया जाएगा। गत वर्षों में जिनका बार–बार चयन हुआ है परन्तु उनके द्वारा निराशजनक प्रदर्शन किया गया है उनका चयन नहीं किया जाएगा।
8. प्रशिक्षक के रुप में शिक्षित, ईमानदार, कुशल, मेहनती और मृदुभाषी व्यक्तियों का चयन किया जाए।
9. ऑनलाइन आवेदन के समय निर्धारित प्रपत्र भी अपलोड करना आवश्यक होगा।
10. प्रशिक्षक हेतु आयु 30 नवम्बर, 2024 को 25 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक न हो (जन्म तिथि 01 दिसम्बर, 1964 से पूर्व की न हो) समुचित संख्या में महिलाओं का भी चयन किया जाए जिससे कि महिला हज आवेदकों को प्रशिक्षण दे सकें।
11. आवेदक के विरुद्ध किसी भी आपराधिक रिकार्ड उपलब्ध होने की स्थिति में उनका चयन नहीं किया जायेगा।
12. गत पॉच वर्षों में हज किया होना अनिवार्य है।
13. अंग्रेज़ी/उर्दू/हिन्दी व स्थानीय भाषा बोलने व समझने में निपुण हो।
14. हज एवं उमराह के अरकानों एवं उसके कियान्वयन की पूर्ण जानकारी रखता हो।
15. मानसिक एवं शारीरिक रुप से पूर्णतः स्वस्थ हो।
16. भीड़/समूह को सम्बोधित करने व नियंत्रित करने का अनुभव हो।
17. कम्प्यूटर की जानकारी रखता हो ताकि हज से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान ई–मेल, व्हाटसैप आदि सुविधाओं का संचालन एवं यात्रियों से आदान–प्रदान भलि–भांति कर सके। हज सुविधा एप से पूर्णतः भिज्ञ हों।
18. जो आवेदन सही पाये जाएंगे उन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार राज्य हज समिति द्वारा किया जायेगा।

(एस.पी.तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
3. मा0 अध्यक्ष/सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त ई–सुविधा केन्द्र/प्रशिक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. ज़िला सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।

(एस.पी.तिवारी)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी